

of Millennium Development Goals on poverty reduction by half a decade. It is requested that the Government considers this phenomenon as a priority and take remedial measures to contain and reverse the same with immediate effect.

Demand to take measure to solve the problem of malnutrition in children of the country

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): महोदय, देश में छह साल से कम आयु के लगभग 16 करोड़ बच्चे हैं। बाल कुपोषण पर हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन रिपोर्ट (2011) ने सरकार के समेकित बाल विकास कार्यक्रम की सफलता की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण की ऊंची दर को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुपोषण की दर में कमी लाने में सरकार अभी तक असफल रही है। देश कितनी भी भौतिक प्रगति हासिल कर ले, जब तक बाल कुपोषण समाप्त नहीं होता, भौतिक प्रगति को प्रगति नहीं कहा जा सकता। इस पर संयुक्त राष्ट्र भी मुहर लगाता है। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि भारत में हर साल 21 लाख बच्चे पांच वर्ष की उम्र पार करने से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। देसरी ओर एक हजार पैदा होने वाले बच्चों में 48 बच्चे औसतन साल भर के भीतर ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। प्रधान मंत्री ने कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म कहा है, लेकिन सिर्फ इसे स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। क्या कारण है कि आजादी के 64 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं? अब तक तमाम योजनाओं पर किए गए खर्च की क्या उपलब्धि है? यदि सरकार वास्तव में देश के भविष्य की हितेषी है तो इस दिशा में शीघ्र और ठोस पहल करे क्योंकि केवल योजनाओं की घोषणाओं से काम नहीं चलेगा।

मेरी सरकार से मांग है कि वह स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाए और कुपोषण को न केवल न्यूनतम स्तर पर लाने, बल्कि पूरी तरह समाप्त करने हेतु कदम उठाए। धन्यवाद।

Demand to set up a regulatory mechanism for property dealers in the country

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): उपसभापति महोदय, मैं एक अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश भर में गांव से लेकर बड़े शहर तक बहुत से लोग प्रापर्टी डीलर और सलाहकार का काम करते हैं। इनकी गिनती देश भर में लाखों की संख्या में होगी, लेकिन इस व्यवसाय को नियमित करने के लिए कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है और न ही कोई कर विभाग का कोई ऐसा नियम है कि इस व्यवसाय में लिप्त लोग किस प्रकार से कर दें। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कोई लाईसेंस भी नहीं लेना पड़ता है और करोड़ों का सौदा इनकी मध्यस्थता के द्वारा होता रहता है। बहुत सारे सौदे तो केवल पावर ऑफ अटार्नी के द्वारा होते हैं। इसके लिए कोई कानून, नियम, दिशा-निर्देश न होने के कारण धोखा होने का जोखिम भी बना रहता है। जो लोग उपरोक्त व्यवसाय में हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा कोई नियम, कानून बनाया जाना चाहिए।

Demand to review the Policy on Water to make right to water a fundamental right

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, the nation's first Water Policy was enacted in 1986 and the second in 2002. This is our third attempt at drafting a National Water Policy.

Due to flaws and gaps in the previous policies, over exploitation of